<u>रजिस्</u>ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092025-266125 CG-DL-E-12092025-266125

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 584]

No. 584]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 2025/भाद्र 21, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 2025/BHADRA 21, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2025

सं. 54/2025- सीमाश्ल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 628(अ).— सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उप-वाक्य (कक) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/1997-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997, जिसे सा.का.नि. 193 (अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्न्लिखत और आगे भी संशोधन करता है, यथा :-

6094 GI/2025 (1)

उक्त अधिसूचना में, सरणी में, क्रम संख्या 12 के समक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में, कॉलम (3) और (4) में, कॉलम (3) में मद (xiv) और कॉलम (4) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न्लिखित मद और प्रविष्टियों के अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)
		"(xv) दलपतपुर, मुरादाबाद	आयातित माल की उतराई और निर्यात माल या ऐसी किसी अन्य श्रेणी के माल की लदाई।"

[फा. सं. सीबीआईसी-50394/45/2023] इंद्रजीत पांडा, अवर सचिव

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या 12/97-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 को सा.का.िन. 193(अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 37/2025-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 26 मई, 2025, सा.का.िन. 343(अ), दिनांक 26 मई, 2025 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2025

No. 54/2025-Customs (N.T.)

G.S.R. 628(E).— In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/97-Customs (N.T.) dated the 2nd April, 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 193 (E), dated the 2nd April, 1997, namely:-

In the said notification in the Table, against serial number 12 relating to the State of Uttar Pradesh, in column (3) and (4), after item (xiv) in column (3) and the entries relating thereto in column (4), the following item and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
			Unloading of imported goods and the loading of export goods or any class of such goods."
			goods of any class of such goods.

[F. No. CBIC-50394/45/2023]

INDRAJIT PANDA, Under Secy.

Note: The principal notification No.12/97-Customs(N.T.), dated the 2nd April, 1997 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 193 (E), dated the 2nd April, 1997 and last amended by notification number 37/2025-Customs (N.T.) dated the 26th May, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide number G.S.R. 343(E), dated the 26th May, 2025.